मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, म.प्र. भोपाल

क्रमांक/AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD/592932 1684 भोपाल, दिनांक 16/06/2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खण्डवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बडवानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकला, भिण्ड, भोपाल, सिवनी, छिन्दवाडा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मण्डला, शिवपुरी, अशोकनगर, पन्ना, इंदौर, बालाघाट एवं सतना।

विषय:- वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्म कालीन फसल मूंग एवं उडद के पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में।

भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उडद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्रदेश में दिनांक 19.06.2025 से 05.07.2025 तक पंजीयन किया जावे इस हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूँ के ई-उपार्जन पार्टल पर पत्र क्रमांक एफ- 160/FCS/3/0002/2025-Sec-I-29 (FCS) भोपाल, दिनांक 15.01.2025 को पंजीयन किये जाने के संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किया गया है जो परिशिष्टि-1 पर संलग्न है।

उपरोक्तानुक्रम में लेख है कि उपरोक्त फसलों के www.mpeuparjan.nic.in ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था, पंजीयन केन्द्रों के निर्धारण, पंजीयन केन्द्रों पर भौतिक एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था, कृषकों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण तथा वित्तीय व्यवस्था उपरोक्तानुसार उल्लेखित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिशिष्ट में संलग्न परिपत्र दिनांक 15.01.2025 के बिन्दु क्र. 02 में किसानों को फसल बेचने के लिए स्लॉट चयन की प्रक्रिया रहेगी एवं बिन्दु क्र. 03 में मूंग एवं उडद उपार्जन हेतु कृषकों से पंजीयन के समय ही आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता नम्बर लिया जावेगा एवं शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

कृषक से वर्ष 2025 की ग्रीष्मकालीन मूंग पैदावार में से मंडी एवं अन्य स्थान पर विक्रय की गई मूंग की जानकारी भरने की व्यवस्था कर कृषक द्वारा पंजीयन के समय प्रदाय की जा रही जानकारी को सत्यापित करने का प्रावधान रहे एवं उसके द्वारा भरी जा रही जानकारी सही है भी अंकित किया जाए।

1. **मूंग** (33 जिलों में) यथा:- नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खण्डवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बडवानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकला, भिण्ड, भोपाल, सिवनी, छिन्दवाडा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मण्डला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट एवं सतना।
2. **उडद** (10 जिलों में) यथा:- जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिन्दवाडा, पन्ना, मण्डला, उमरिया, सिवनी एवं बालाघाट।

वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मंडी दरें यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आवेगी तो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की पीएम आशा अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के संबंध में विधिवत पृथक से निर्णय लिया जाकर इस बाबत विस्तृत निर्देश तदुपरांत पृथक से जारी किये जायेंगे।

कृपया उक्तानुक्रम में विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

16/6/25
(आर.के. गणेशे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD/592932 1685 भोपाल, दिनांक 16/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश,शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।
4. निज सहायक मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल ।
5. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन दिल्ली।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, मप्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
7. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन,वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन भोपाल ।
9. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर आवश्यक निर्देश जारी किये जाने तथा ई-उपार्जन पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।
10. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनसम्पर्क विभाग भोपाल को योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
12. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
13. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर म.प्र.।
14. आयुक्त, (संस्थागत वित्त) म.प्र. भोपाल।
15. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक निर्देश जारी किये जाने तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल ।
17. आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल।
18. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ।
19. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल ।
20. शाखा प्रबंधक, नेफेड भोपाल ।
21. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन म.प्र. भोपाल ।
22. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल।
23. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) म.प्र भोपाल ।
24. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन म.प्र.।
25. एस.आई.ओ (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र - एन.आई.सी भोपाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा उक्तानुसार पोर्टल पर पंजीयन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
26. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
27. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र.।
28. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग................(समस्त)।
29. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला ....(समस्त)।
30. परियोजना संचालक आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला ....(समस्त)।
31. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

JD(S.D) 85
16.06.25.

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Mail/1701 दि. 16/6/2025
JD (निर्माण)
प्रबंध संचालक

C:\Users\HCL\Downloads\SUMMER UPARJAN Draft LETTER.docx

Sandeep Ji
Website पर upload करना है, email करना है
17.06.2025
17/06/25

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 160/FCS/3/0002/2025-Sec-1-29(FCS) भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,

मध्यप्रदेश।

विषय- रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण।

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा हेतु पंजीयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. पंजीयन व्यवस्था

1.1 किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसान द्वारा निम्नलिखित स्थानों/तरीकों से पंजीयन कराया जा सकेगा-

क्र.	पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था	पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था
1	ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर	एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर
2	जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर	कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर
3	तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर	लोक सेवा केन्द्र पर
	सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर	निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर
4	एम.पी. किसान एप	-

1.2 ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/तहसील कार्यालय में पंजीयन हेतु सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे।

1.3 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर यथोचित निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन हेतु राशि रू. 50 से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। उक्त केन्द्रों पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1

1.4 किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

1.5 सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उक्त श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

2. उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता संकलन

2.1 किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।

2.2 किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।

2.3 पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखे। इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए।

2.4 जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके, इस कार्य के लिए पोस्ट आफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है।

2.5 आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान का बैंक खाता आसानी से उसके आधार नंबर से लिंक हो जाए एवं संबंधित बैंक द्वारा बैंक खाता एवं आधार की जानकारी NPCI को आधार आधारित भुगतान हेतु प्रेषित की जाए। इस संबंध में बैंकों के साथ बैठक कर न केवल उन्हें समुचित निर्देश दिये जाए, वरन इस कार्य की नियमित निगरानी भी की जाए।

2.6 बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने में किसान को कोई दिक्कत अथवा समस्या होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए।

2.7 किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही रू.1 का ट्रांजेक्शन MPSCSC द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

3. आधार नंबर का वेरिफिकेशन

3.1. पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा।

3.2. पंजीयन केन्द्र संचालनकर्ता स्थानीय बाजार से UIDAI द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के बायोमेट्रिक डिवाईस क्रय कर सकते है।

3.3. UIDAI द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार बायोमेट्रिक डिवाईस उपलब्ध कराने वाले निर्माता/वेण्डर की सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है, जिसमें से किसी भी डिवाईस का उपयोग पंजीयन के लिए किया जा सकता है।

3.4. किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।

3.5. भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

4. किसान पंजीयन की समयावधि- दिनांक 20 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक होगी, जिसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

5. पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं की पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

5.1. एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी साइबर कैफे से किसानों के पंजीयन के लिए जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी से ऑथोराईजेशन प्राप्त कर पंजीयन केन्द्र का संचालन कर सकते है।

5.2. कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क का डाटा एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से ई उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे डीएसओ लॉगिन से पंजीयन केन्द्र बनाए जा सकेंगे।

5.3. सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था के पंजीयन केन्द्र संचालन के लिये जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी द्वारा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जिलेवार सहकारी संस्थाओं के स्थापित किए जाने वाले पंजीयन केन्द्रों की संख्या की जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस संख्या में एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी साइबर कैफे केन्द्र सम्मिलित नहीं है।

5.4. पंजीयन का कार्य निम्न पात्र संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा :-

i. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं/वृहताकार कृषि साख सहकारी संस्थाऐं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाऐं, अथवा

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

ii. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाऐं के आदेश क्र. विपणन/2013/869 दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाऐं।

5.5. सामान्यतः एक पात्र सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा अधिकतम दो पंजीयन केन्द्र का संचालन किया जाएगा, किन्तु पात्र संस्थाऐं उपलब्ध न होने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में जिला उपार्जन समिति के प्रस्ताव के आधार पर आयुक्त, खाद्य के अनुमोदन से एक संस्था को दो से अधिक पंजीयन केन्द्रों का दायित्व सौंपा जा सकेगा, जिसमें विकासखण्ड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाए।

5.6. जिला उपार्जन समिति द्वारा पंजीयन केन्द्र का कार्य देने हेतु निम्नलिखित आधार पर संस्थाओं की पात्रता की जांच की जाएगी :-

i. संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो।

ii. संस्था के पास पंजीयन की आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु) उपलब्ध हों। उक्त स्वीकृत साख सीमा की जानकारी संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होने पर ही मान्य की जाए।

iii. विगत 02 खरीफ विपणन वर्ष (2022-23 एवं 2023-24) तथा 02 रबी विपणन वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार :-

A. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक का अंतर न हो, अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 01% से अधिक न हो,

B. उक्त अवधि में प्रमाणित गंभीर अनियमितता न की गई हो,

C. ऑफलाईन मोड़ में उपार्जन का कार्य न किया हो तथा

D. परिवहनकर्ता को स्कंध बिना तौले अथवा परिवहन न किया हो,

E. विगत रबी एवं खरीफ में संस्था द्वारा किसानों का भुगतान लंबित न हो,

iv. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो तथा कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व के वर्षो में किसी अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हो।

v. पूर्व वर्षो की किसी अपात्र संस्था के केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा, ऐसा ई-उपार्जन साफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा।

vi. विगत 02 खरीफ विपणन वर्ष (2022-23 एवं 2023-24) तथा 02 रबी विपणन वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) में उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक अंतर वाली संस्थाओं को अपरिहार्य कारणों से जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य देने की अनुशंसा करने पर संस्था के संबंधित कर्मचारियों से स्कन्ध की अंतर मात्रा की राशि की वसूली एवं अंतर की मात्रा की 50% राशि (समर्थन मूल्य की दर से) एफडी के रूप में जिला

प्रबंधक MPSCSC के पास (दोनों राशियां) जमा कराए जाने के उपरांत संस्था को पंजीयन का कार्य दिया जा सकेगा, जिससे संस्था द्वारा पंजीयन/उपार्जन कार्य में हानि/अनियमितता करने पर इस राशि से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। परिवहन में पाई गई कमी की राशि की वसूली परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी एवं इस मात्रा को समिति के अंतर मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

vii. जिला स्तर पर DM-MPSCSC, DMO-MARKFED, जिला प्रभारी MPWLC एवं GM-DCCB से संस्थाओं की मापदण्ड पूर्ति के संबंध में विचार-विमर्श कर उपरांत उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

5.7. जिले में निर्धारित संख्या में पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाएँ उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर आयुक्त, खाद्य द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिथिलताऐं दी जा सकेगी।

5.8. पंजीयन हेतु उक्तानुसार पात्र संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु NIC द्वारा DSO login में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाता, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने लॉगिन से प्रविष्ट किया जाएगा।

भूमि स्वामी, सिकमी/बटाईदार/कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया, डाटा संशोधन एवं पंजीयन सत्यापन

6. भूमि-स्वामी पंजीयन की प्रक्रिया

6.1 किसान एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।

6.2 पंजीयन केन्द्रों पर रबी विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करने पर पंजीयन आवेदन प्रदर्शित होगा, आवेदन में किसान का नाम हिन्दी भाषा में (आधारकार्ड अनुसार) दर्ज किया जाए। ड्राप-डाउन पर संबंधित जिला/तहसील/ग्राम का विकल्प चयन करने पर ग्राम के सभी खाताधारक किसानों के नाम प्रदर्शित होंगे। **पंजीयन हेतु आवेदन का प्रारूप संलग्न है।**

6.3 किसान द्वारा पंजीयन हेतु नाम का चयन किया जाएगा एवं नाम चयन करने के उपरांत भूमि का खसरा जोड़ने के विकल्प पर जाकर संबंधित किसान के खसरों का चयन किया जा सकेगा।

6.4 किसान द्वारा पंजीयन में दर्ज कराए गए नाम एवं भू-अभिलेख डाटा में दर्ज नाम का मिलान पंजीयन केन्द्र के कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा किया जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी।

6.5 किसान द्वारा बोई गई फसल का विवरण पंजीयन आवेदन में खसरेवार देना होगा, जिसके आधार पर किसान पंजीयन किया जाएगा।

6.6 इसके उपरांत किसान को अपने सही आधार नंबर प्रविष्ट करना होगा। आधार प्रविष्टि के उपरांत UIDAI से पंजीकृत एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में किसान की दर्ज पूर्ण जानकारी UIDAI से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी।

6.7 किसान के पास आधार नंबर न होने पर किसान को आधार केन्द्र पर जाकर आधार हेतु आवेदन करना होगा। समग्र आईडी/आधार आवेदन पंजीयन पावती क्रमांक के आधार पर भी किसान का पंजीयन किया जा सकेगा। किसान द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, प्राप्त OTP से पोर्टल पर सत्यापन उपरांत किसान पंजीयन सुरक्षित किया जा सकेगा।

6.8 भू-अभिलेख के डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम एवं आधार डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम का मिलान ई-उपार्जन पोर्टल पर होने पर पंजीयन सुरक्षित करने हेतु "सुरक्षित करें" विकल्प को क्लिक करना होगा। संस्थाएँ मिलान नहीं करने पर पंजीयन नहीं हो सकेगा।

6.9 सफल पंजीयन की जानकारी SMS के माध्यम से किसान को प्राप्त होगी जिसका पोर्टल से प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा।

6.10 पंजीयन में फसल की किस्म, विक्रय योग्य मात्रा एवं कटाई उपरांत फसल के भंडारण स्थल की जानकारी दर्ज होगी।

7. सिकमी/बटाईदार एवं वनपट्टाधारी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया

7.1 उक्त श्रेणी के किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जाएगा।

7.2 पंजीयन केन्द्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाईल नंबर हो तथा सिकमीनामा (निर्धारित प्रारूप में) की प्रति साथ में लेकर आना होगा। सिकमीनामे की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर आपरेटर द्वारा स्केन कर अपलोड करनी होगी, उसके उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी।

7.3 पंजीयन केन्द्रों पर आपरेटर द्वारा किसान के आधार में दर्ज नाम ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा।

7.4 सिकमी/बटाईदार किसान द्वारा प्रस्तुत सिकमीनामे में दर्ज किसान विवरण के आधार पर जिला/तहसील/ग्राम का चयन करते हुए संबंधित खसरा नंबर का चयन किया जाएगा।

7.5 वनपट्टाधारक किसान के पंजीयन में वनपट्टा क्रमांक, खसरा, रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि की जाएगी।

7.6 सिकमी/बटाईदार/पट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्ट किया जाएगा। आधार नंबर प्रविष्टि के उपरांत किसान के आधार एथेंटिकेशन (बायोमेट्रिक)/ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में दर्ज पूर्ण जानकारी UIDAI से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी।

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

7.7 ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज किसान के नाम एवं आधार डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम का मिलान ई-उपार्जन पोर्टल पर होने की दशा में पंजीयन सुरक्षित करने हेतु "सुरक्षित करें" विकल्प को क्लिक करना होगा।

7.8 वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी।

7.9 किसान द्वारा बोई गई फसल, किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जाए।

7.10 किसान द्वारा उत्पादित फसल का भंडारण किन स्थानों पर किया गया है अथवा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आवेदन में दर्ज की जाए।

8. डाटा संशोधन एवं मिलान की कार्यवाही

8.1 किसान पंजीयन में दर्ज खसरे पर उल्लेखित फसल/रकबे एवं गिरदावरी से संबंधित खसरे/रकबे में दर्ज फसल का मिलान एनआईसी द्वारा किया जाएगा। जिन फसलों का मिलान पूर्ण होगा, उनको डाटाबेस में सम्मिलित किया जाएगा।

8.2 डाटा मिलाने में जिन किसानों का पंजीयन में रकबा गिरदावरी के अनुसार अथवा कम तथा गेहूं की फसल गिरदावरी में पाए जाने पर पंजीयन मान्य किया जाएगा एवं जिन किसानों का गिरदावरी रकबे से पंजीयन में अधिक रकबा एवं अन्य फसल पाए जाने पर राजस्व विभाग के अमले द्वारा सत्यापन कराया जाएगा।

8.3 किसान के पंजीयन में कृषि का प्रकार (सिंचित/असिंचित) गिरदावरी में दर्ज अनुसार मान्य किया जाएगा।

8.4 भू-अभिलेख एवं आधार डाटा में किसान का नाम त्रुटिपूर्ण होने पर राजस्व अमले से अथवा आधार पंजीयन केन्द्र में नाम का संशोधन कराया जाए।

8.5 आधार डाटाबेस में दर्ज मोबाइल पर ही OTP प्रेषित होगा, अतएव आधार डाटाबेस में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाए।

8.6 किसान के अद्यतन आधार लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाना है। अतः इस हेतु बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही संबंधित बैंक में जाकर कराई जाए।

9. दावा-आपत्ति

9.1 किसान पंजीयन में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति करना होगी।

9.2 दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

9.3 गिरदावरी में बोई गई फसल, रकबे एवं फसल की किस्मो में किसी भी प्रकार का संशोधन किए जाने पर किसान पंजीयन में तदनुसार स्वतः संशोधन हो जाएगा, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से संबंधित किसान को NIC द्वारा प्रेषित की जाएगी।

10.सत्यापन-

10.1 ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत निम्न श्रेणियों के किसानों के रकबा, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन नायब तहसीलदार/तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा:-

- ✓ पंजीयन में किसान द्वारा उल्लेखित फसल/रकबा एवं गिरदावरी में दर्ज फसल/रकबा में भिन्नता
- ✓ विगत वर्ष के पंजीयन से 50% अधिक रकबा वाले, किन्तु 5 हेक्टेयर से अधिक पंजीकृत किसान
- ✓ 5 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले किसानों
- ✓ सिकमी, बटाईदार, कोटवार वन पट्टाधारी किसान
- ✓ वन पट्टाधारी किसानों के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म का सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रविष्टि DM mpscsc login से की जाएगी।

11.पंजीयन में संभावित समस्या और समाधान (Frequently Asked Questions)

क्र.	समस्या	समाधान
1.	किसान पंजीयन में आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त न होना	i. आधार डाटाबेस में वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने के कारण OTP प्राप्त नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आधार केन्द्र/पोस्ट आफिस में जाकर वर्तमान मोबाइल नंबर को अपडेट कराकर पंजीयन कराना होगा। ii. यदि आधार नंबर में सही मोबाइल नंबर दर्ज होने पर भी OTP प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में OTP प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास किया जाना होगा अथवा मोबाइल नेटवर्क बाधित होने पर मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में जाकर प्रयास करना होगा।
2.	गिरदावरी में दर्ज फसल/रकबा/सिंचित/असिंचित रकबा एवं मौके पर बोई गई फसल रकबा/सिंचित/असिंचित रकबा में अंतर होना	i. एमपी किसान एप में दावा-आपत्ति के विकल्पक को चयन कर सही फसल, रकबा/सिंचित असिंचित रकबा की स्थिति दर्ज कराना होगा। ii. उक्त संबंध में संबंधित पटवारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कराना होगा। iii. गिरदावरी में संशोधन उपरांत ही पंजीयन किया जा सकेगा।

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

क्र.	समस्या	समाधान
3.	मूल भू-स्वामी की मृत्यु होने पर फसल का पंजीयन न होना	खातेदार की मृत्यु होने पर वैध वारिस/उत्तराधिकारी के नाम से भूमि का नामांतरण होने पर वारिस के नाम से पंजीयन किया जा सकेगा।
4.	शामिलाती भू-स्वामी होने पर पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा।	शामिलाती भू-स्वामी होने पर सभी हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर बोई गई फसल का पंजीयन करा सकेंगे।
5.	किसान की भूमि एक से अधिक जिला/ग्राम में होने पर पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा।	i. यदि किसान की भूमि एक ही जिला के अन्य ग्रामों में है तो पंजीयन में दूसरे ग्राम की फसल के रकबे जोड़े जा सकेंगे। ii. यदि किसान की भूमि किसी अन्य जिला में है तो किसान को अपनी समग्र सदस्य आईडी एवं आधार का उपयोग करते हुए दूसरे जिले में भी पंजीयन कराना होगा।
6.	किसान द्वारा विक्रय उपज का भुगतान किन बैंक खाते में किया जाएगा।	प्रथमत: किसान के आधार से लिंक किए गए बैंक खाता में विक्रय उपज का भुगतान किया जाएगा। पंजीयन में लिए गए बैंक खाते में विशेष परिस्थितियों में भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
7.	यदि किसान अपने मोबाइल से पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य विकल्प क्या होंगे।	सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों एवं एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर पंजीयन कराए जा सकेंगे।
8.	एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/ कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क द्वारा किस प्रकार पंजीयन किया जाएगा।	एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क/कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क को एमपी किसान एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा।
9.	सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन कहां किए जा सकेंगे।	सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान को सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन करना होगा।

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

10	किसान द्वारा दर्ज कराए गए नाम एवं भू-अभिलेख डाटा में दर्ज नाम में अंतर होने पर क्या करना होगा।	i. किसान द्वारा दर्ज कराया गया नाम आधार से भिन्न है तो किसान को आधार केन्द्र/पोस्ट आफिस जाकर आधार में नाम संशोधित करना होगा। ii. किसान द्वारा दर्ज कराया गया नाम भू-अभिलेख से भिन्न है तो किसान को राजस्व अधिकारी से सम्पर्क कर भू-अभिलेख में नाम संशोधित करना होगा।

12.किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं समय-सीमा

क्र.	कार्य	प्रक्रिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
1	प्रबंधन तंत्र का गठन	जिला उपार्जन समिति का गठन	कलेक्टर	16.01.2025
		राज्य उपार्जन समिति का गठन	राज्य शासन	16.01.2025
		समिति स्तरीय पंजीयन केन्द्र वार नोडल टीम का गठन	कलेक्टर	16.01.2025
		राज्य एवं जिला कन्ट्रोल रूम की स्थापना	आयुक्त खाद्य-कलेक्टर - DSO	16.01.2025
		राज्य/जिला तकनीकी सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	आयुक्त, खाद्य - कलेक्टर	
2	एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, निजी साइबर कैफे को पंजीयन के लिए अधिकृत करना		कलेक्टर – DSO	16.01.2025
3	ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील स्तर पर पंजीयन हेतु सुविधा केन्द्रों की स्थापना		कलेक्टर - DSO	16.01.2025

20

क्र	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
		जिला अधिकारियों का उन्मुखीकरण (वीडियो कांफ्रेसिंग)- डीआईओ, डीएसओ, डीएमओ, डीएम MPSCSC, उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मास्टर ट्रेनर	आयुक्त, खाद्य	22.01.2025
		जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	MPSCSC	22.01.2025
10	उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	तहसील स्तरीय अधिकारियों का जिले पर उन्मुखीकरण	जिला कलेक्टर - राज्य स्तरीय रिसोर्स पर्सन	23.01.2025
		डाटा एंट्री आपरेटर एवं समिति प्रबंधक का पंजीयन साफ्टवेयर प्रशिक्षण	कलेक्टर- DIO NIC	19.01.2025
		पंजीयन समिति, पंचायत, संबद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	जिला कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी	23.01.2025

13.प्रचार-प्रसार, कर्मचारियों की भूमिका का निर्धारण

13.1 पंजीयन में कठिनाईयां एवं बाधाएं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत/कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए।

13.2 किसानों के मध्य विशेष रूप से निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाए:-

- किसानों को बैंक खाता आधार से लिंक कराने के संबंध में अवगत कराया जाए।
- आधार डाटाबेस में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाए।
- किसान पंजीयन के समय आधार डाटाबेस में उपलब्ध किसान की फ़ोटो पंजीयन के समय प्रदर्शित कराया जाए।

13

• पंजीयन में सही आधार नंबर की प्रविष्टि करना आवश्यक है।

13.3 गिरदावरी में किसान की फसल, रकबे एवं फसल की किस्म की प्रविष्टियां सही-सही कराई जाएं, आपत्ति होने पर संबंधित पटवारी/राजस्व निरीक्षक को अवगत कराया जाए।

13.4 किसान के खसरे में आधार नंबर दर्ज कराए जाएं।

13.5 प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर से की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है :-

- रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि।
- विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हों, उन्हें SMS से सूचित करना।
- ग्राम में डोंडी पिटवाकर तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराना।
- समिति/मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष कर सूचित करना।

14. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण

14.1 आयुक्त, खाद्य के प्रतिनिधि की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण।

14.2 जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण, तथा

14.3 पंजीयन समिति, पंचायत, सम्बद्ध विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।

15. पंजीयन कार्य का सघन पर्यवेक्षण, एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था

15.1 जिला स्तर से पंजीयन केन्द्र में आवश्यक व्यवस्थाओं का सत्यापन पंजीयन निर्धारित तिथि के पूर्व करा लिया जाए।

15.2 कलेक्टर द्वारा प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर प्रतिदिन एक कर्मचारी (कृषि/सहकारिता/खाद्य/ राजस्व) की ड्यूटी लगाई जाए।

15.3 पंजीयन व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर रबी विपणन मौसम की राज्य/जिला स्तरीय उपार्जन समिति उत्तरदायी होगी, तथा

15.4 राज्य स्तर से समय-समय पर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी शासन स्तर से भेजे जाएंगे।

16. पंजीयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र

16.1 जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर द्वारा जिला सूचना अधिकारी, NIC के नेतृत्व में टीम गठित की जाए, जिसमें जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर, द्वार प्रदाय योजना का एक कुशल आपरेटर एवं समिति स्तर के दो कुशल डाटा एन्ट्री आपरेटर रखे जाएं।

16.2 राज्य स्तर पर भी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए आयुक्त, खाद्य द्वारा एक टीम गठित की जाए।

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

16.3 राज्य एवं जिला स्तर पर पंजीयन के दौरान एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए जो कि मार्गदर्शन दे सकें एवं समस्याओं को पंजीकृत कर निराकरण करा सके, तथा

16.4 समस्त ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों एवं पंजीयन के प्रोटोकाल में प्रावधानित नहीं है, उन्हें आयुक्त, खाद्य द्वारा शासन से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जाएगा।

17. वित्तीय व्यवस्था

17.1. गेहूं के पंजीयन हेतु निर्धारित रिकरिंग खर्चों हेतु भारत शासन की प्रावधानिक लागत के उपार्जन संस्था के प्रशासनिक व्यय मद, समिति की कमीशन मद से प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा निर्धारित Norms अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।

17.2. सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों एवं नियंत्रण कक्षों में नियोजित डाटा एन्ट्री आपरेटरों का मानदेय राज्य उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक व्यय मद से विकलनीय होगा।

17.3. समिति द्वारा पंजीयक का कार्य करने हेतु ऑपरेटर की सेवाएँ पंजीयन प्रारंभ होने के पूर्व से सत्यापन एवं उपार्जन प्रारंभ होने तक की अवधि तक ली जा सकेगी।

17.4. ई-उपार्जन के उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु प्रबंध संचालक, MPSCSC द्वारा मापदण्ड एवं दरें तय की जाएंगी तथा जिला प्रबंधक, MPSCSC के माध्यम से उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाते हुए मापदण्ड अनुसार भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

17.5. पंजीयन केन्द्रों पर लगने वाले हार्डवेयर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मद-6627-खाद्यान्न उपार्जन कम्प्यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत विकलनीय होगा।

17.6. वित्तीय व्यय हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन किया जाए तथा शासन द्वारा जारी नीति के अनुरूप कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किए जाएं।

उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न - उक्तानुसार।

Rpat
15/1/25

(रंजना पाटने)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन आवेदन

दिनांक ....

आवेदन क्रमांक ....

1. पंजीयन केन्द्र का नाम .... पंजीयन केन्द्र क्रमांक ....

2. किसान का नाम (अंग्रेजी में) .... पिता/पति का नाम.............................. 3.

किसान का नाम (हिन्दी में) .... पिता/पति का नाम..............................

4. लिंग- Male [ ] Female [ ]

5. निवासी ग्राम/वार्ड का नाम .... ग्राम पंचायत/वार्ड...

6. तहसील .... जिला...

7.वर्ग(अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछड़ावर्ग/सामान्य) ....

8. किसान का आधार नं. (12-डिजिट) [| | | | | | | | | | |]

- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में विक्रय की गई उपज का भुगतान किया जाएगा। अतः बैंक में जाकर खाते को आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक कराएं एवं बैंक के माध्यम से डाटा NPCI को प्रेषित कराएं। आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान असफल होने की स्थिति में बैंक खाते की जानकारी जिसमें भुगतान किया जाना है, बैंक खाते की जानकारी निम्नानुसार दर्ज करें।

9. बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या [| | | | | | | | | | | | | | | | |]

आई.एफ.एस.सी.कोड क्र. [| | | | | | | | | | |]

10. किसान का मोबाईल नंबर (+91 या 0 आवश्यकता नहीं [| | | | | | | | |] है)

- यह मोबाईल नंबर आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके आधार पर अस्थाई पंजीयन होगा, पुष्टि (OTP) से की जावेगी।

11. किसान की समग्र सदस्य आई.डी क्रमांक (09 डिजिट) [| | | | | | | |]

12. किसान की स्वयं की भूमि का विवरण

(रकबा हेक्टेयर/मात्रा क्विंटल में)

ग्राम का नाम	फसल का नाम	फसल की किस्म	मूल भूमि स्वामी की ऋण पुस्तिका क्र.	खसरा क्र.	रकबा	बोई गई फसल का रकबा		कुल संभावित उपज		मंडी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली	
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा	संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. सिकमी/बटाई पर काश्त ली गई भूमि का विवरण

(रकबा हेक्टेयर/मात्रा क्विंटल में)

ग्राम का नाम	फसल का नाम	फसल की किस्म	मूल भूमि स्वामी की नाम एवं ऋण पुस्तिका	खसरा क्र.	रकबा	बोई गई फसल का रकबा		कुल संभावित उपज		मंडी/उपार्जन केन्द्र मे विक्रय की जाने वाली	
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा	संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

File No. AGR/19/0045/2025-STAT-FWAD (Computer No. 592932)

मूल भू-स्वामी का नाम एवं पता..

आधार नंबर...

मोबाईल नम्बर...

सिकमी अनुबंध का दिनांक ....

14. वनाधिकार भूमि पर बोई गई फसल का विवरण-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खाता क्रमांक/पट्टा	फसल का नाम	फसल की किस्म	बोई गई फसल का रकबा हेक्ट. में		संभावित विक्रय की 02 दिनांक	
						सिंचित	असिंचित	दिनांक 01	दिनांक 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. फसल विक्रय करने हेतु अधिकृत नामिनी का नाम..

16. अधिकृत नामिनी का आधार नंबर

17. नॉमिनी का मोबाईल नंबर

18. पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से कृषक अपने सभी खसरों को आधार नम्बर से लिंक निम्नानुसार कराए- समग्र पोर्टल पर "eKYC करें" विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर/MPOnline/लोक सेवा केन्द्र पर http://mpbhuabhilekh.gov.in पोर्टल पर पब्लिक यूजर द्वारा

19. किसान द्वारा विक्रय (सरल क्र. 12 से 14 में उल्लेखित फसल) की जाने वाली उपज के भण्डारण स्थल का पूर्ण पता एवं मात्रा

किसान/अंगूठा हस्ताक्षर

हस्ताक्षर उपार्जन केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी

घोषणा पत्र

मैं .... पिता/पति .... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मध्यप्रदेश का किसान हूँ और उपरोक्त वर्णित समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य हैं एवं तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैंने अपनी इस ज़मीन का पंजीयन अन्य किसी केन्द्र पर नहीं कराया हैं। रबी उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के लिए मैं अपने आधार नंबर की जानकारी उपयोग करने सहमति प्रदान करता हूं। यदि जांच उपरांत वर्णित कोई भी तथ्य असत्य/मिथ्या पाया जाता है तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मेरे गिरदावरी के आंकडे का मिलान मैंने कर लिया है।

हस्ताक्षर किसान/अगूंठा

नोट- पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेजो की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है-

1. समस्त वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पट्टा की प्रति।
2. सिकमी/पट्टे की भूमि होने पर उसका निर्धारित प्रारुप में अनुबंध-पत्र एवं मूल भू-स्वामी की ऋण पुस्तिका की प्रति।

.... यहां से काट के किसान को पावती दी जाए......................................

रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन की पावती

आवेदन क्रमांक ....

श्री/श्रीमती..पिता/पति.. निवासी ग्राम .... द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र .... पर प्राप्त किया गया। जिसका पंजीयन क्र. .... हैं।

अधिकृत पंजीयनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट- पंजीयन में गलत/भ्रामक जानकारी देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 418 तथा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।